27/08/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.।
प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय शामिल मिसल किया गया। पत्रा बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय सुनाया गया।

5246
27/08/2025

GCMS
2024/80

B.J.

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.27 18:46:00 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

मनीराम बनाम अजयप्रकाश वगैरह

मुकदमा –251–क आर.टी.ए. व 8 (2) कोलो.एक्ट प्रकरण संख्याः–35/2024 (GCMS No. 2024/80)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.08.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 24 एस.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 45 नया 37 पुराना के पत्थर नं. 152/418 (मु.न. 9) के किला नं. 4/1 में 0.228 हैक्टर कमाण्ड, 4/2 में 0.025 हैक्टर गै.मु. खाला, 5/1 में 0.202 हैक्टर कमाण्ड, 5/2 में 0.051 हैक्टर गै.मु. खाला, 7 में 0.253 हैक्टर कमाण्ड, 12/1 में 0.013 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार 0.961 हैक्टर कमाण्ड व 0.076 हैक्टर खाला कुल 1.0370 हैक्टर व इसी चक की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता सं. 49 नया 38 पुराना के पत्थर नं. 152/418 मु.न. 9 के किला नं. 6/1 में 0.228 हैक्टर कमाण्ड व 6/2 में 0.025 हैक्टर खाला कुल 0.253 हैक्टर कमाण्ड मय खाला दोनों खातों की कुल 1.290 हैक्टर रकबा दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम इसी चक के खाता संख्या 2/2 के पत्थर नं. 152/418 (9) की 3.632 हैक्टर कमाण्ड व खाला भूमि दर्ज रिकार्ड है। पत्थर नं. 152/418 के किला नं. 1/3, 10/1, 11 में 0.013 हैक्टर गै0मु0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी को अपने खेत चक 24 एस.डी. के पत्थर नं. 152/418 में जाने के लिये किला नं. 11/1 व किला नं. 12/1 में जो 1–1 बिस्वा प्रार्थी के नाम से दर्ज है का प्रयोग कर प्रार्थी के किला नं. 13 के उत्तर–पश्चिम दिशा में प्रवेश करके अपने नाम की भूमि किला नं. 8 में प्रवेश करता है। प्रार्थी इसी रास्ता का प्रयोग अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 24 एस.डी. के पत्थर नं. 152/148 (9) के किला नं. 13 में उत्तर–पश्चिम पासा में किला नं. 8 के चिपते हुए $8^{1/4}$ गुणा 12 फीट ($8^{1/4}$ फीट चौड़ा 12 फीट लम्बा) रास्ता स्वीकृत किया जायें। वकील अप्रार्थी संख्या 2–4 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी द्वारा पत्थर नं. 152/418 के किला नं. 13 में प्रवेश कर अपने किला नं. 8 में प्रवेश करता आ रहा है। यह कथन झुठा है। प्रार्थी किला नं. 12 से किला नं. 9 में प्रवेश कर अपनी भूमि किला नं. 8 में हमेशा से ही प्रवेश करता आ रहा है। यदि माननीय न्यायालय प्रार्थी का हम अप्रार्थीगण की भूमि पत्थर नं. 152/418 के किला नं. 13 में रास्ता मंजूर करती है तो अप्रार्थीगण को रास्ता में आई भूमि के बदला में प्रार्थी के पत्थर नं. 152/418 के किला नं. 8 जो कि प्रार्थी के किला नं. 13 से चिपती है किला नं. 8 के उत्तरी पासा में भूमि दिलवाई जावें अन्यथा प्रार्थी हमेशा किला नं. 9 में जिस रास्ता का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। उसी रास्ता को स्वीकृत किया जावें। इसी अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित होगा। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 11.01.2024 अनुसार प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध [illegible] है। [illegible] रास्ता में कोई पेड़, मकान नही होना बताया है। मौका रिपोर्ट के [illegible] आंशिक नजरी नक्शा के अवलोकन से प्रतीत हो रहा है कि प्रार्थी के [illegible] नही लगता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी [illegible] सूरतगढ़ के चक 24 एसडी के पत्थर नं. 152/148 [illegible] आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम अंकित [illegible] पत्थर नं. 152/148 (9) के किला नं. 13 में उत्तर–पश्चिम पासा में किला नं. 8 के चिपते हुए $8^{1/4}$ गुणा 12 फीट ($8^{1/4}$ फीट चौड़ा 12 फीट लम्बा) रास्ता स्वीकृत किया जाना हम उचित समझते है।	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.27 18:46:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या :– 35/2024
अन्तर्गत धारा :– 251–क व 8(2) कोलो. एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.08.2025	अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी मनीराम के नाम अंकित खातेदारी भूमि तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 45/37 के पत्थर नं. 152/418 की 1.037 हैक्टर व खाता संख्या 49/38 के पत्थर नं. 152/418 (9) के किला नं. 6 की 0.253 हैक्टर खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम अंकित संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि खाता नं. 2/2 के पत्थर नं. 152/418 (9) की 3.632 हैक्टर कमाण्ड मय खाला में से किला नं. 13 के उत्तर–पश्चिम पासा में किला नं. 8 के चिपते हुए 8 1/4 गुणा 12 फीट (8 1/4 फीट चौड़ा 12 फीट लम्बा) रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी उक्त स्वीकृत रास्ता के बदला में वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर की दुगुना राशि तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष जमा करवायें। उक्त राशि जमा होने पर स्वीकृत रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। उक्त रास्ता का प्रयोग सार्वजनिक होगा। तहसीलदार सूरतगढ़ उक्त राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को उनके हिस्सा का आंकलन कर भुगतान करेगें। अप्रार्थी संख्या 01 ता 4 तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	5246 27/8/25

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.27 18:46:00 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक / राजस्व / प्रा.पत्र / 35 / 2024 / 27.08.2025 / 5246 दिनांकः– 27/08/2025

तहसीलदार
सूरतगढ

विषय :–राजस्व प्रा.पत्र संख्या 35 / 2024 अनवान मनीराम बनाम अजय प्रकाश वगैरह अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए व 8(2) कोलो. एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2025 की पालना करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी मनीराम के नाम अंकित खातेदारी भूमि तहसील सूरतगढ़ के 45 ऽ 5D खाता संख्या 45 / 37 के पत्थर नं. 152 / 418 की 1.037 हैक्टर व खाता संख्या 49 / 38 के पत्थर नं. 152 / 418 (9) के किला नं. 6 की 0.253 हैक्टर खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम अंकित संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि खाता नं. 2 / 2 के पत्थर नं. 152 / 418 (9) की 3.632 हैक्टर कमाण्ड मय खाला में से किला नं. 13 के उत्तर–पश्चिम पासा में किला नं. 8 के चिपते हुए $8^{1/4}$ गुणा 12 फीट ($8^{1/4}$ फीट चौड़ा 12 फीट लम्बा) रास्ता स्वीकृत किया राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी उक्त स्वीकृत रास्ता के बदला में वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर की दुगुना राशि तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष जमा करवायें। उक्त राशि जमा होने पर स्वीकृत रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। उक्त रास्ता का प्रयोग सार्वजनिक होगा। तहसीलदार सूरतगढ़ उक्त राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को उनके हिस्सा का आंकलन कर भुगतान करेगें। अप्रार्थी संख्या 01 ता 4 तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.27 18:46:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)